अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

68/2022 22 3 [handwritten: ...] V/S राज्य सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख	
	2022/68
पेशी	श्री [illegible] श्री [illegible]
25.11.25	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित । मिसल पूर्वानुसार वास्ते 23/12/25 दिनांक को पेश हो । [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
23/12/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभावक उपस्थित उप. अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 28/01/26 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
28/01/26	पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलांट एवं रेस्पो. उपस्थित । राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया । मि[illegible] पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 10/02/26 को [illegible] हो [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
10/2/26	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय उप.। अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु समय चाहते है, जो दिया जाता है, आयंदा आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 16/02/26 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
16/2/26	पत्रावली पेश की गई। वकुलाय उप.। अभिभाषक उपस्थित। बहस हेतु समय चाहते है, जो दिया जाता है, आयंदा आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक 19/2/26 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी
19/2/26	पत्रावली पेश की गई। वकील अपीलांट एवं अपीलांट अनुपस्थित। राजकीय अभिभाषक उप.। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट को कई बार रुक-रुक कर आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी - अदम पैरवी से खारिज की जाती है। पत्रावली क्रमानुसार होकर नम्बर से कम हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

205 [illegible margin notes] 2024 [illegible] 3.

Scanned with CamScanner

1

(4)

205
धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ एड.ने
अपील पेश की। अपील
मय कॉपी रिपोर्ट ऐडर
पेश की।
7.3.22

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

अपील संख्या.......68....../2022/जिला अजमेर

2022/68

अब्दुल खान पुत्र दीन मोहम्मद जाति मेहरात निवासी ग्राम रूपनगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांट

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर दिनांक 07.02.2022 बउनवानी अब्दुल खान बनाम सरकार प्रकरण संख्या 156/2021 (2021/371) में पारित किया गया।

68/2022
7.3.2022

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

(अ) यह कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट/वादी द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला अजमेर के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0का0अधि0, 1955 के तहत विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या नया 1 पुराना 1 खसरा नम्बर 1850/1246 रकबा 0.5625 है0 वाके ग्राम व पटवार हल्का रूपनगर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर में स्थित है उक्त आराजी में से लगभग 1 बीघा आराजी पर वादी का पिछले 40 वर्षों से निरन्तर व निर्बाद्ध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके एक हिस्से में उसके द्वारा मकान का निर्माण करवा रखा है तथा शेष हिस्से में वादी द्वारा समय–समय पर लाखों रूपयों की धनराशि व्यय कर उसे समतल करवाकर लाखों रूपयों की धनराशि

Scanned with CamScanner